(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 02/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/2

बउनवान

श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत निवासी सी–12, फ्लेट नं. 407, विनायक अपार्टमेंट, पृथ्वीराज रोड, चौमूं हाउस सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) पिन नं. 302001, मो.नं. 8094000008

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 03.02.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी कि दिनांक 19.09.2024 को अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा प्रषित प्रार्थना पत्र बाबत् पोखरा बावडी ग्राम माण्डपुर तहसील अन्ता जिला बारॉ के धार्मिक स्थल पर दानपेटी रखने की अनुमति दिये जाने (जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है) पर आज दिनांक तक कोई सूचना नही दी गई। उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारॉ का पत्रांक 663 दिनांक 05.12.2024 प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी चाही गई सूचनाऐ नही दी गई।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 13.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को जरिये सम्मन क्रमांक 26–27 दिनांक 13.01.2025 को तलब कर, अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी [illegible] रिये सम्मन क्रमांक 26–27 दिनांक 13.01.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सू.का अ./2025/749–750 दिनांक 03.02.2025 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपी अपीलार्थी को भी दी गई, जो निम्नानुसार है :–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2024 जो उनके कार्यालय मे दिनांक 19.11.2024 को प्राप्त हुआ था। जिसका जवाब उनके कार्यालय मे पत्र क्रमांक/राजस्व/आरटीआई/2024/663 दिनांक 05.12.2024 से अपीलार्थी भिजवाया गया, जिसमे उनके द्वारा अंकित किया गया था कि प्रार्थना पत्रानुसार पोखरा बावडी ग्राम माण्डपुर तहसील अन्ता के धार्मिक स्थल पर दानपेटी रखने के क्रम मे इस कार्यालय द्वारा कमेठी गठित कर दिनांक 30.09.2024 को मीटिंग का आयोजन प्रस्तावित किया गया था। किन्तु प्रशासनिक कारणों से उक्त मीटिंक स्थगित कर दी गई। इस क्रम मे पुनः कमेठी कठित की जाकर इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.12.2024 शुक्रवार को मीटिंग का आयोजन किया जावेगा।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के क्रमांक/राजस्व/आरटीआई/2024/663 दिनांक 05.12.2024 से सूचित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता जिला बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:10 IST
Reason: SelfAttested